जोधपुर राज्य की शिक्षा में निजी संस्थाओं का योगदान (19-20वीं सदी के दौरान)

डॉ. बिन्टू

1902 ई. में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कर रही निजी संस्थाओं तथा संगठनों को राज्य के शिक्षा विभाग से आर्थिक अनुदान करने की नीति बनाई गई। जोधपुर में उस समय इस प्रकार के 6 स्कूल थे। यथा: (i) सरदार स्कूल (ii) सर प्रताप संस्था (iii) सुमेर संस्था (iv) एंग्लो-वैदिक स्कूल (v) इस्लामिया मदरसा तथा (vi) फैज मोहम्मदी मदरसा, जो क्रमश: ओसवाल समुदाय, कायस्थ सभा, माली जाति, श्रीमाली ब्राह्मणों, स्थानीय मुसलमानों, इत्यादि द्वारा चलाए जा रहे थे। इन स्कूलों को राज्य से अनुदान सहायता दी गई।[1]

जोधपुर राज्य में निजी तौर पर चलाई जाने वाली स्कूलें भी उस समय थी जिन्हें खानगी स्कूल कहा जाता। इन स्कूलों को भी राज्य से सहायता मिलती थी। सर प्रताप के प्रयास से सन् 1911 तक मारवाड़ में 1 बी.ए. कॉलेज, 1 हाई स्कूल, 16 वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल, 44 एंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूल, 1 लड़कियों का स्कूल, 1 राजपूत नोबल्स स्कूल, 1 संस्कृत स्कूल, 1 नार्मन स्कूल और एक बिजनेस क्लास के अतिरिक्त 25 खानगी स्कूलें बनी।

जोधपुर राज्य में सभी पोशालें निजी स्तर पर ही संचालित थी। राजपुताना गजेटियर्स के अनुसार 1906 ई. में सम्पूर्ण जोधपुर राज्य में कुल 185 पोशालें कार्यरत थी।

जोधपुर राज्य में वर्नाक्यूलर शिक्षा

सभी राजकीय शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने वाले स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक और सैकण्डरी शिक्षा से आगे की नियमित पढ़ाई के लिए राज्य की तरफ से वज़ीफा दिया जाता था। 1909-1910 के दौरान क्षेत्र में लोगों का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ता देखकर 2 वर्नाक्यूलर स्कूलों को एंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। जोधपुर शहर में एक नया एंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूल खोला तथा जिला स्तर पर 10 वर्नाक्यूलर स्कूलों की स्थापना की, जिनमें 17 नए अध्यापकों की नियुक्तियाँ की गई और दो नए डिप्टी इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल की नियुक्तियाँ की गई। इस समय राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में

प्रगति का आलम यह था कि एक हजार अथवा थोड़ी अधिक की आबादी पर एक स्कूल खोलने का प्रावधान होने लगा था। परिणामस्वरूप 1911 ई. तक 65 राजकीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा चुकी थी, जिनमें 3,884 विद्यार्थी पढ़ते थे तथा राज्य, शिक्षा पर 79,968 रूपये खर्च कर चुका था।[2]

तालिका 1: जोधपुर राज्य में निजी तौर पर संचालित एंग्लो-वर्नाक्युलर स्कूल (1906 ई.)

स्थान	स्कूल का नाम	संचालन (के द्वारा)	पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	दैनिक औसतन उपस्थिति	अन्य
जोधपुर	सरदार स्कूल: एंग्लो-वर्नाक्युलर मिडिल	ओसवाल महाजन	281	182	एडेड
,,	सुमेर स्कूल: एंग्लो-वर्नाक्युलर प्राईमरी	माली समुदाय	62	54	,,
,,	सर प्रताप स्कूल: एंग्लो-वर्नाक्युलर प्राईमरी	कायस्थ समुदाय	–	–	–
लाडनूं	सोहनलाल एंग्लो-वर्नाक्युलर प्राईमरी	निजी	20	....	–
पचपद्रा	श्यामबिहारी लाल एंग्लो-वर्नाक्युलर प्राईमरी	निजी	2	...	–
पीपाड़	माहेश्वरी स्कूल: एंग्लो-वर्नाक्युलर प्राईमरी	माहेश्वरी महाजन	82	....	–
पोकरण	एंग्लो-वर्नाक्युलर प्राईमरी	पोकरन के ठाकुर	20	...	–
सोजत	आर्य स्कूल: एंग्लो-वर्नाक्युलर प्राईमरी	आर्य समाज	45	....	–

जोधपुर राज्य में मिशनरी शिक्षा

भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की शुरूआत ईसाई मिशनरियों के प्रयासों का परिणाम थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति से बहुत पहले ही विभिन्न ईसाई मिशनरियों ने मद्रास, बंगाल और बम्बई में आधुनिक शिक्षा के कार्य को हाथ में ले लिया था। उन्होंने न केवल आधुनिक शिक्षा के लिए स्कूल

खोले, बल्कि विभिन्न भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं में प्रिन्टिंग प्रेस स्थापित किए तथा बाईबल को विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित किया। साथ ही उन्होंने कागज बनाना आरम्भ किया। विभिन्न लिपियों के लिए ढाँचा तैयार किया तथा विभिन्न उपयोगी विषयों पर पुस्तिकाएँ, इत्यादि भी प्रकाशित की।[3] प्रारम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का रवैया मिशनरी शिक्षा व्यवस्था के प्रति सकारात्मक रहा। परन्तु 1765 ई. में इलाहबाद की सन्धि के बाद जब कम्पनी को दीवानी अधिकार मिले तो कम्पनी ने ईसाई मिशनरियों को अपनी शिक्षा प्रणाली से धार्मिक शिक्षा को बाहर रखने का आदेश दिया।[4]

यदि राजस्थान में मिशनरी शिक्षा प्रणाली की शुरूआत पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि 1857 ई. के जन-आक्रोश के बाद ही राजस्थान में व्यवस्थित मिशनरी शिक्षा आरम्भ हुई। परन्तु, ईसाई धर्म का प्रचार निजी स्तर पर कुछ मिशनरियों द्वारा 1818 ई. के बाद से अजमेर में आरम्भ कर दिया गया था। उदाहरणार्थ लार्ड हेस्टिंग्स ने रेवरेन्ड जबेज कैरी को अजमेर में स्कूल की स्थापना के लिए भेजा, जिसने मई 1819 ई. में मिशनरी स्कूल की स्थापना की।[5] 1857 ई. के जन-आक्रोश के बाद अंग्रेजों ने राजस्थान में इवेनजेलिकल विचारधारा के तहत ईसाई मिशनरियों को शिक्षा के काम पर लगाया। इस दिशा में रेवरेन्ड स्टील तथा शुलब्रेड ने स्कॉटलैण्ड प्रेसबेटेरियन के निणर्यानुसार ब्यावर में सितम्बर 1859 ई. में कार्य शुरू किया। परिणामस्वरूप 3 मार्च 1860 ई. को युनाईटेड प्रेसबेटेरियन मिशन का राजस्थान के ब्यावर में पहला केन्द्र स्थापित किया गया, इसके बाद शिघ्र ही 12 और केन्द्र खोले गए।[6]

विवेच्य काल में मिशनरी शिक्षा प्रणाली एवं इसका पश्चिमी राजस्थान में प्रसार बहुत हद तक नही हुआ। जोधपुर राज्य में मिशनरी शिक्षा व्यवस्था का कुछ प्रसार अवश्य हुआ। जोधपुर रियासत में 1883 ई. में मिशनरी शिक्षा प्रणाली की शुरूआत हो चुकी थी, तथापि इसकी औपचारिक शुरूआत सन् 1885 ई. में डॉ. समर वेली द्वारा वहाँ एक मिशनरी शिक्षा केन्द्र की स्थापना से हुई। पुन: दो वर्ष बाद राज्य में एक वर्नाक्यूलर स्कूल की स्थापना की गई, परन्तु यहाँ दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के विरोध के फलस्वरूप इसको कुछ समय बाद बंद कर दिया गया।

अगले वर्ष पुन: प्रयास किया गया और 30 लड़कों के रजिस्ट्रेशन के साथ एक बॉयज स्कूल खोला गया। इतना ही नहीं 10 लड़कियों के पंजीकरण के साथ

एक गर्ल्स स्कूल की भी शुरूआत की गई। इन दोनों स्कूलों ने लम्बे समय तक राज्य में मिशनरी शिक्षा के कार्य को जारी रखते हुए, दलितों, लड़कियों तथा अन्य सामान्य वर्ग के बालकों को शिक्षित किया। बच्चों के मन से ऊँच-नीच का भय निकाला व इनके साथ समानता का व्यवहार किया, ताकि उन्हें समाज की प्रगति में भागीदार बनाकर उन्हें भी सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया जा सके। परन्तु, इन दोनों ही मिशनरी शिक्षण संस्थाओं ने सिर्फ वर्नाक्युलर शिक्षा पर जोर दिया और उन्होंने अपने छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी शिक्षा देने का कोई प्रयास नहीं किया।

सन् 1938 ई. में सेंट एन्ड्रयूज हॉल का निर्माण कार्य पूरा होते ही उसे 23 फरवरी 1938 ई. से औपचारिक रूप से खोल दिया गया। अत: अब राज्य के मिशनरी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को वहाँ स्थानान्तरित कर दिया गया जो अगले कई वर्षों तक वहीं चलता रहा। इस प्रकार पूरे राजपूताना में जितने मिशनरी शिक्षण संस्थान थे उनमें शिक्षा की गुणवत्ता तथा स्कूलों की संख्या के हिसाब से जोधपुर की स्थिति अधिक अच्छी नहीं थी, परन्तु फिर भी जोधपुर राज्य की उक्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की विविधता एवं साथ ही लड़कियों को शिक्षित करने के प्रचलन से यह पता चलता हैं कि राज्य में शिक्षा के मिशनरी प्रयासों का भी प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में योगदान रहा। उल्लेखनीय है कि बीकानेर व जैसलमेर रियासतों में मिशनरी शिक्षा लोकप्रिय नहीं रही।

अत: पश्चिमी राजपूताना में सिर्फ जोधपुर रियासत में मिशनरी शिक्षा प्रणाली का प्रचलन था, जिसमें शिक्षित छात्र-छात्राओं का समाज से सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान रहा।

विवेच्य काल में जोधपुर में शिक्षा के विकास में विभिन्न प्रकार की एजेन्सियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकारी तन्त्र एवं ईसाई मिशनरियों के अतिरिक्त आर्य समाज, स्थानीय जातीय सभाओं तथा कई समाज सुधारकों के व्यक्तिगत प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति व समाज में व्याप्त सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन पर भी इनके द्वारा कड़ा प्रहार किया गया। ये प्रयास निम्न प्रकार से थे-

(i) आर्य समाज का शिक्षा के विकास हेतु प्रयास:

आर्य समाज का विचार था कि शिक्षा समाज के सर्वांगीण विकास, राष्ट्रीय प्रगति, सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान और समाज के दबे-कुचले वर्गों यथा: महिलाओं और अछूतों जो सामाजिक परम्पराओं व प्रथाओं के नाम पर सामाजिक कुप्रथाओं से सबसे अधिक पीड़ित थें[8], को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए

अतिआवश्यक है। साथ ही स्वामी दयानन्द सरस्वती का कहना था कि स्त्रियाँ पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह की वजह से हमारे समाज का एक कमजोर हिस्सा हैं। भारत तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाएगा। अत: महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें राष्ट्र तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ना अतिआवश्यक है।[9] बाद में स्वामी दयानन्द सरस्वती के पक्के अनुयायी श्री हरविलास शारदा ने भी महिलाओं को पुरूषों के पंजे से मुक्त करके स्वतन्त्र जीवन जीने के लिए उनको शिक्षित करने पर अत्यधिक जोर दिया।[10]

आर्य समाज ने उपर्युक्त उद्देश्य के लिए वैदिक शिक्षा प्रणाली अथवा प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति पर जोर दिया तथा 19वीं सदी में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध लोगों को जागृत करते हुए वैदिक शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया कि समकालीन कुरीतियों एवं बुराईयों के लिए प्राचीन भारत में कोई जगह नहीं थी। अत: आर्य समाज ने अपनी शिक्षण संस्थाओं में वैदिक सभ्यता तथा शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। साथ ही लोगों को शिक्षित करने के लिए जगह-जगह पुस्तकालय, वाचनालय आदि खोलने पर जोर दिया। आगे चलकर उन्होंने एंग्लो-वैदिक शिक्षा प्रणाली भी अपनाई। पश्चिमी राजपूताना में जोधपुर में 1901 से 1903 ई. में जोधपुर के एक सक्रिय आर्य समाजी लक्ष्मण आर्य ने नगर के समीपवर्ती मण्डोर उद्यान के मुख्य द्वार के निकट एक छोटी सी पहाड़ी पर गुरूकुल स्थापित किया। परन्तु यह कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया।[11]

बीकानेर के चूरू में आर्य समाज और सनातन धर्म सभा ने 1912-13 ई. में सावित्री कन्या पाठशाला तथा सनातन धर्म कन्या पाठशाला की स्थापना करके बीकानेर में लड़कियों को शिक्षित करने के कार्य में भूमिका अदा की।[12] 1919 ई. में भादरा में आर्य समाजी खूबराम सर्राफ ने भी एक कन्या पाठशाला आरम्भ की, जो वहाँ की लड़कियों में बहुत लोकप्रिय हुई। परन्तु कुछ कारणों की वजह से इसे शिघ्र ही बंद करना पड़ा।[13]

शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ-साथ जोधपुर राज्य में आर्य समाज ने दलित शिक्षा पर भी जोर दिया तथा यहाँ दलितों की शिक्षा को ठीक करने के लिए सन् 1922 ई. में लक्ष्मणसिंह परिहार ने शिक्षण संस्था खोली।[14] इसके अतिरिक्त सन् 1923 ई. में भंगी बस्ती, लखारों का बास में शंकरलाल गौड़ द्वारा एक अन्य पाठशाला का आरम्भ किया गया। आर्य समाज जोधपुर की 37-38वीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें

सन् 1924 ई. से 1926 ई. तक का विवरण दिया गया है, से जोधपुर आर्य समाज द्वारा रियासत में समाज सुधार के लिए किए गए अन्य कार्यों के साथ-साथ अस्पृश्य पाठशाला में दो अध्यापकों की नियुक्ति, विद्यार्थियों के अच्छे रूझान तथा विद्या प्रेमी श्री मरूधराधीश द्वारा उक्त पाठशाला को 40 रूपये मासिक सहायता देने के अतिरिक्त शहर में एक पुस्तकालय स्थापित करने का विवरण भी दिया गया है।

इस पुस्तकालय में लोगों के अध्ययन के लिए विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर सामग्री उपलब्ध थी।[15] पंच वार्षिक वृतान्त से उम्मेद मन्दिर हरिजन पाठशाला को छात्रों के लिए पट्टी, आदि सामान के साथ आर्थिक सहायता देने का भी विवरण है। इस प्रकार पश्चिमी राजपूताना के जोधपुर एवं बीकानेर राज्यों में आर्य समाज के प्रयासों से दलितों तथा महिलाओं को शिक्षित करने के साकारात्मक परिणाम रहे। जिससे निश्चित तौर पर समाज में प्रचलित कुरीतियों के निवारण में योगदान मिला।

(ii) जातीय सभाओं द्वारा शिक्षा हेतु प्रयासः

पश्चिमी राजपूताना में कुछ प्रगतिशील विचारों वाली जातियों ने अपनी-अपनी सभाओं अथवा पंचायतों के माध्यम से न केवल पश्चिमी राजस्थान में बल्कि समस्त राजपूताना रियासतों में सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध जंग छेड़ दी थी। किन्तु सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में लोगों का शिक्षित न होना आड़े आ रहा था। राज्य द्वारा आरम्भ किए गए शिक्षण संस्थान ना काफी लग रहे थे।

परिणामतः राज्य शिक्षा संस्थानों के साथ-साथ, कुछ समुदायों के स्वामित्व और प्रबंधन वाले निजी स्कूल भी स्थापित हुए, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है-

कायस्थों द्वारा शिक्षा व्यवस्था

जोधपुर में सन् 1887 ई. में कायस्थों ने सरप्रताप हाई स्कूल की स्थापना की और इसका रख-रखाव पंचोली या माथुर द्वारा किया जाता था।

ओसवाल-महाजनों द्वारा शिक्षा व्यवस्था

1896 ई. में ओसवाल महाजनों ने सरदार मिडिल स्कूल स्थापित किए।[16]

माली समाज द्वारा शिक्षा व्यवस्था

सुमेर स्कूल की स्थापना वर्ष 1898 में हुई थी और इसे माली समुदाय द्वारा चलाया जाता था।[17]

यह स्कूल मंडोर रोड़ पर महामंदिर के सामने निर्मित किया गया था। यह विद्यालय भवन तीन कमरों के विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था और इसका विधिवत उद्घाटन जोधपुर के महाराजकुमार श्री सुमेरसिंहजी ने 29 अगस्त 1898 को किया था। उस समय महाराजकुमार सुमेरसिंहजी केवल 8 महीने के थे। यह विद्यालय भवन जोधपुर के माली समाज द्वारा स्वामी दयानंदजी से प्रेरित और समाज के कुछ जागरूक नागरिकों के साहसिक योगदान के कारण बनाया गया था और 110 वर्षों से यह विद्यालय समाज के प्रबुद्ध वर्ग द्वारा तदनन्तर प्रगति के साथ चल रहा है। यह स्कूल एक कुशल संस्था द्वारा चलाया जाता है। संस्था और उसके सदस्यों के निरंतर प्रयासों से यह विद्यालय एक छोटे से विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक का गौरवशाली सफर तय कर चुका है।

विद्यालय के उद्घाटन की अध्यक्षता आर्य समाज के स्वामी भास्करानंद सरस्वती ने की। इस अवसर पर महाराजा द्वारा 1500 रुपये का अनुदान दिया जाता था और हर साल अनुदान की घोषणा की जाती थी, जो रियासत काल तक जारी रहता था। इस अवसर पर महाराज जालम सिंह, महाराज दौलत सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस विद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया।

1918 ई. तक इस विद्यालय भवन पर 40,000 रुपये खर्च कर मुख्य भवन का कार्य करवाया गया था। दो मंजिला इमारत तत्कालीन वास्तुकला का सुंदर नमूना है। शिक्षा के प्रति जागरूक माली समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अनुदानों और समाज से प्राप्त होने वाले दान के कारण आज यह विद्यालय अपने चरम विकास पर है। तीन कमरों से शुरू हुआ यह स्कूल अब सैकड़ों कमरों में तब्दील हो चुका है। यह सब काम समाज और समाज के बारे में अच्छे विचार रखने वाले लोगों के सहयोग से किया गया है।

जाट समाज द्वारा शिक्षा के प्रयास

1921-22 ई. में नागौर के चौधरी मूलचन्द व जोधपुर के चौधरी गुल्लाराम रतकुड़िया ने जाटों को शिक्षित करने एवं सामाजिक बुराईयों से लड़ने के लिए उन्हे जागरुक करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जाट लोगों को रतकुड़िया चौधरी छोटूराम द्वारा शिक्षा पर एक व्याख्यान दिलवाया।[18]

उन्होंने 1 जुलाई 1921 ई. को रतकुड़िया गाँव के पास उम्मेद स्टेशन पर एक पाठशाला स्थापित की, जिसमें चौधरी नैनसिंह को अध्यापक नियुक्त किया

गया। यद्यपि, उक्त पाठशाला सिर्फ 1924 ई. तक ही चल पाई।[19] मारवाड़ के जाटों को शिक्षित करके उन्हें आधुनिक एवं प्रगतिशील बनाने के लिए 2 मार्च 1927 ई. को चौधरी गुल्लाराम ने जोधपुर में 4 अप्रैल 1927 ई. को अपने रातानाड़ा स्थित मकान में जाट बोर्डिंग हाउस की स्थापना कर दी।

जहाँ चौधरी गुल्लाराम ने जाटों की उन्नति का मूलमंत्र दिया ''पढ़ो और पढ़ाओ''।[20] सन् 1929 ई. में चौधरी बलदेवराय मिर्धा ने इस संस्था की उन्नति के लिए 10 हजार रूपये दिए व ''किसान शिक्षण संस्थान'' नामक संस्था पंजीकृत करवाकर उसके माध्यम से जाट बोर्डिंग हाउस जोधपुर का संचालन करने लगे। इस संस्था को जुलाई 1929 ई. से एक सौ रुपये जोधपुर सरकार से अनुदान के रूप में दिलवाना आरम्भ किया।[21]

इसी प्रकार, नागौर में सन् 1927 ई. में चौधरी मूलचन्द के प्रयासों से जाट छात्रवास की स्थापना की गई।[22] तत्पश्चात 21 अगस्त 1930 ई. को नए छात्रावास की स्थापना कर दी गई। सन् 1932 ई. में इस छात्रावास को भी जोधपुर सरकार से पचास रूपये मासिक सहायता मिलने लगी।[23] 30 जून 1934 ई. को छात्रों की बढ़ती संख्या को देखकर जाट बोर्डिंग हाउस, बाड़मेर की स्थापना की गई।[24] सन् 1937 ई. में बाड़मेर बोर्डिग हाउस को भी सरकार से 30 रूपये मासिक अनुदान मिलना आरम्भ हो गया था।[25]

1935 ई. में मेड़ता में जाट छात्रवास की स्थापना की गई, बाद में 1943 ई. में डीडवाना, 1945 ई. में परबतसर, बिलाड़ा व रतकुड़िया में छात्रावास स्थापित किए गए।[26] जाट समाज में इन छात्रावासों के खुलने से शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा तथा इन छात्रावासों के अलावा बप्पा रोडू, भूंडाना, भादल्या, कवासपुरा, डडेसरी, बरताऊ, ढींगसरी, इनाणा, फिड़ोद, अमरपुरा, भदवासी, भाखरोद, खड़नाल, बोड़वा, खूंडी आदि गाँवों में पाठशालाएँ खोलकर किसान बच्चों को पढ़ाने का एक व्यापक कार्यक्रम जाट नेताओं के द्वारा आरम्भ किया गया।[27]

इन स्कूलों को राज्य की तरफ से आर्थिक अनुदान भी दिया जाता था। जिसका विस्तृत वर्णन जोधपुर रियासत में आधुनिक शिक्षा के राजकीय प्रयासों के अंतर्गत किया गया है। कुछ प्रगतिशील विचारों के व्यापारी वर्ग ने भी शिक्षण संस्थाएँ आरम्भ की। उदाहरणार्थ रालाराम और चतुर्भुज ने सुमेर कन्या पाठशाला की स्थापना

की। 1919 ई. तक जोधपुर राज्य में 8 गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएँ थी[28], यथा- श्री सुमेर कन्या पाठशाला, जोधपुर, श्री उमेद कन्या पाठशाला, सोजत, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल, पाली, राजदुलारी गर्ल्स स्कूल, सांभर, राजमहल किड्स मार्डन स्कूल, सरदारपुरा, बाल सुबोध कन्या पाठशाला, मंडावर, फुलचन्द कन्या पाठशाला एवं गर्ल्स स्कूल, लाडनूँ।

जोधपुर राज्य में मुसलमानों के लिए शिक्षा हेतु निजी प्रयास

जोधपुर राज्य में मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था को जानने से पहले संक्षेप में यह जानना आवश्यक है कि 1857 ई. के विद्रोह से पहले एवं बाद के 15-20 वर्षों तक भी भारत में मुसलमानों का आधुनिक शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण निराशाजनक तथा परम्परावादी रहा, और वे मदरसा शिक्षा प्रणाली में ही विश्वास करते रहे।[29] 1871-72 ई. में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के समय में मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए एक रिजोल्यूशन पारित किया गया। मेयो प्रशासन के इस रिजोल्यूशन का लाभ उठाते हुए सर सैय्यद अहमद खान ने 1875 ई. में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो- ओरियन्टल स्कूल तथा बाद में कॉलेज की स्थापना की। सर सैय्यद अहमद खान चाहते थे कि मुसलमान भी आधुनिक शिक्षा के माध्यम से विज्ञान, तकनीकी, पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति की शिक्षा लेकर मुस्लिम समाज में सामाजिक सुधार लाएँ।

यद्यपि आरम्भ में इसका प्रभाव राजस्थान के मुसलमानों पर नही पड़ा। धीरे-धीरे समय के साथ राजस्थान पर भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। सर्वप्रथम अजमेर- मेरवाड़ा के मुसलमानों में अपनी आने वाली पीढ़ियों तथा मुस्लिम समाज के प्रति जिम्मेदारी का ऐहसास होने लगा। अत: उन्होने अजमेर में 1906-1908 ई. के दौरान चार इस्लामिक स्कूल खोले। कुछ समय तक ये सभी स्कूल निजी संस्थाओं के हाथों में रहे, परन्तु 1914 ई. में भारत सरकार द्वारा इसे अपने नियन्त्रण में ले लिया तथा 1918 ई. से राजकीय स्कूल के तौर पर चलाना आरम्भ किया।[30]

जोधपुर राज्य में मुसलमानों की शिक्षा के लिए प्रयास 1876 ई. के बाद ही प्रारम्भ हुए। वर्ष 1906 ई. में जोधपुर राज्य के विभिन्न स्थानों पर मदरसे संचालित थे, जिनका विवरण आगे उल्लेखित है-

तालिका 2: वर्ष 1906 में जोधपुर राज्य में निजी स्तर पर संचालित मदरसों की सूची[31]

स्थान	स्कूल का नाम	संचालन (के द्वारा)	पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	दैनिक औसतन उपस्थिति
भकरी	मुसलमान मदरसा (उर्दू)	निजी	20	....
डीडवाना	मुसलमान मदरसा (उर्दू)	निजी	25	....
कुचामन	मुसलमान मदरसा (फारसी व उर्दू)	निजी	50	....
,,	गुलाम मुहम्मद मदरसा (फारसी व उर्दू)	निजी	20	....

पश्चिमी राजस्थान में मुसलमानों की शिक्षा देर से आरम्भ हुई। जोधपुर राज्य में 20वीं शताब्दी में 1920-21 ई. में मुस्लिम लड़कों की शिक्षा के लिए इस्लामिया मदरसा की स्थापना तथा वित्तीय संकट के चलते जोधपुर के मुसलमानों द्वारा इस सम्बन्ध में रियासती प्रशासन को एक रिप्रजेन्टेशन देने के बाद 1928 ई. में जोधपुर के शिक्षा विभाग द्वारा इसके रख-रखाव तथा शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए अपने नियन्त्रण में लेकर इसका नाम बदलकर 'दरबार मुस्लिम स्कूल', जोधपुर, कर दिया गया।[32] 1929 ई. में महाराजा उम्मेद सिंह ने अपनी मुस्लिम प्रजा के लिए राजकीय व्यय से एक स्कूल भवन बनाने की घोषणा की।[33] 1934 ई. में दरबार मुस्लिम स्कूल को मिडिल स्तर का कर दिया, परन्तु इसके साथ ही इसके लिए एक भवन की भी आवश्यकता महसूस की गई, जिसे 18 फरवरी 1936 ई. को महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा इस स्कूल के लिए एक लाख रूपये की लागत से बने नए भवन का उद्घाटन करने पर पूरा किया गया।

राजकीय एवं नीजि मुस्लिम संस्थाओं के प्रयासों से 1947 ई. में यहाँ के दरबार मुस्लिम स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। दरबार मुस्लिम हाई स्कूल बनाकर जोधपुर के मुसलमानों में शिक्षा के महत्व को जागृत करने में जोधपुर के शिक्षा निदेशालय के निदेशक ए.पी. कोक्स की भी बहुत अहम भागीदारी रही। भारत की आजादी के बाद 1948 ई. में दरबार मुस्लिम हाई स्कूल का नाम बदलकर

महात्मा गाँधी हाई स्कूल कर दिया। निश्चित तौर पर समाज के सभी वर्गों और समुदायों के शिक्षित होने से ही किसी भी देश एवं राष्ट्र का समाज सभ्य समाजों की श्रेणी में आता है

1930-1931 ई. में राज्य प्रशासन ने देशी पोशालों पर से राज्य का नियन्त्रण समाप्त करने का निर्णय लिया तथा ऐसी संस्थाओं को अपनी (स्वयं इन निजी संस्थाओं की) देखरेख में स्वतन्त्र छोड़ दिया। इस समय राज्य में 146 शिक्षा केन्द्र (लड़कों के लिए) तथा 19 शिक्षा केन्द्र (लड़कियों की शिक्षा के लिए) राज्य के नियन्त्रण में थे। इनमें से लड़कों की शिक्षा के लिए 130 राजकीय शिक्षण संस्थान थे, 11 स्कूल राज्यों से आर्थिक सहायता प्राप्त थे तथा 5 मान्यता प्राप्त स्कूल थे। लड़कियों की शिक्षा के लिए 15 राजकीय स्कूल थे व 4 राज्य द्वारा अनुदानित स्कूल थे। राज्य के नियन्त्रण वाले उपरोक्त सभी स्कूलों में छात्रों की संख्या 15,023 थी और छात्राओं की संख्या 1,626 थी। इतना ही नहीं राज्य की ओर से महिला अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए अक्टूबर 1930 ई. स्कूल की स्थापना की गई। 1931 ई. तक शिक्षा पर राज्य ने 5,70,050 रूपये खर्च किए।[34]

दलित शिक्षा हेतु प्रयास

जोधपुर में वर्ष 1938-39 ई. मे दलितों की शिक्षा पर एकाएक कुछ कदम उठाने का प्रश्न सामने आया। जिसके उल्लेख से पूर्व यह जानना अनिवार्य हो जाता है कि महिलाओं, लड़कियों की तरह ही समाज का दलित तबका भी समाज में बुनियादी शिक्षा से वंचित था और वह भी तिरस्कार झेलने के साथ-साथ सामाजिक कुप्रथाओं से शोषित हो रहा था। समाज का यह दलित वर्ग ही था जो सदियों से समाज के तथाथित उच्च वर्गों के अत्याचारों, तिरस्कार एवं कु-प्रथाओं का शिकार होता आ रहा था। अत: जब तक इस वर्ग की शिक्षा के बारे में नहीं सोचा जा सकता था तब तक समाज न तो प्रगति कर सकता था तथा न ही कु-प्रथाओं से रहित हो सकता था।

विदित है कि 20वीं सदी के तीसरे दशक के आरम्भिक वर्षों तक पूरे राजस्थान में कोई भी दलित स्कूल अथवा उनके अध्ययन की कोई अन्य व्यवस्था नहीं थी। 20वीं सदी में जब कुछ सुधारवादी व्यक्तियों तथा हरिजन सेवक संघ ने दलित शोषण के विरूद्ध आवाज उठाई तथा दलित शिक्षा के लिए वकालत की तब जाकर सबसे पहले जयपुर में 1923 ई. में राज्य के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन

ने इस बात की मान्यता दी कि फतेहपुर (शेखावटी) के सेठ गोविन्दराम थानमल, बिसाऊ में दलित शिक्षण संस्थान चलाएँ, जिसका खर्चा इसमें पढ़ने वाले दलित स्वयं वहन करेंगे तथा इस स्कूल का निरीक्षण शेखावटी शिक्षा मंडल करेगा।[35]

जोधपुर में भी 1938-39 ई. से पहले एक भी दलित शिक्षण संस्थान के बारे में जानकारी नही मिलती है। 1938-39 की वार्षिक रिपोर्ट से सिर्फइतना पता चलता है कि राज्य ने दलितों की शिक्षा के लिए कुछ स्कूल खोले थे।[36] कितने स्कूल खोले ? उनमें कितने दलित छात्र पढ़ते थे ? अध्यापकों की संख्या कितनी थी ? तथा राज्य का शिक्षा विभाग दलित शिक्षा पर कितना खर्च करता था इस बारे में कोई जानकारी नही दी गई है।

जोधपुर में दलित समाज की लड़कियों को स्कूलों में दाखिला न दिए जाने का विरोध करते हुए हरिजन समाज ने उनके लिए अलग स्कूल खोलने की माँग की।[37]

जैन समाज हेतु शिक्षा के प्रयास-

जैन समाज में शिक्षा की प्रगति के लिए समाज के कुछ जागरूक लोगों ने जैनियों को सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकालने के लिए सुधार संगीत नाम से पुस्तिकाएँ निकाली जिनमें 'समाज सुधार', 'लड़कियों की पुकार', 'आधुनिक आदर्श', 'पंचों की कुकडू-कू', 'मणिमाला', इत्यादि प्रमुख थी। इनमें सामाजिक कुप्रथाओं से समाज में होने वाली हानियों से लोगों को अपनी कविताओं के माध्यम से शिक्षा देने के प्रयास किए गए। इसी प्रकार की एक कविता जिसका शीषर्क 'कन्या शिक्षा' था, लोगों को कुछ इस प्रकार से सन्देश देती है[38]-

शीघ्र सुधार चाहो - कन्याशाला खुलाओ
बेटे जैसी जानो बेटी, पढ़ने में क्यों रखो हेटी
दोनों को तुल्य पढ़ाओ कन्यापाठशाला खुलाओ।
जैसी सासरे बेटी जावे, वैसी बहुएँ घर पर आवें।
घर दोनों सुधराओं - कन्याशाला खुलाओ।।
शिक्षा माता देती, शिक्षा निजसंतति की करती रक्षा।
इनको इल्म सिखाओ कन्याशाला खुलाओ।।
न्याशाला होवें जारी, लाभ मिले भारत को भारी।
'धीरज' ध्यान दिराओ कन्याशाला खुलाओ।।

अगर समाज में सुधार लाना चाहते हैं तो कन्याओं के लिए स्कूल खुलवाएँ तथा बेटी को बेटे के बराबर दर्जा देकर उन्हे भी पढ़ाएँ। शिक्षा ग्रहण करने से जागृति आएगी तथा इससे सिर्फ कन्या के परिवार में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत में जागृति आएगी।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि जोधपुर राज्य में 20वीं सदी के प्रारम्भिक दशकों में जाट, मुस्लिम, दलित एवं जैन समुदायों ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय निजी प्रयास किए। छात्रावास, विद्यालय और शिक्षण संस्थानों की स्थापना द्वारा समाज सुधार व जागरूकता को बल मिला। इन प्रयासों से वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रसार हुआ और सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देने की चेतना विकसित हुई।

संदर्भ

1. *मारवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट (1907-1908)*, पृ. 53, जोधपुर रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
2. *मारवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट (1910-1911)*, पृ. 52-53
3. चन्द्रपाल सिंह, *नेशनल एज्यूकेशन मूवमेंट: ए सागा ऑफ क्यूस्ट फॉर एलटरनेटिव्स टू कोलोनियल एज्यूकेशन*, ऑरिजिनल्स, दिल्ली, 2012, पृ. 29-31; जी.सी. वर्मा, पूर्व उद्धृत, पृ. 55
4. जी.सी. वर्मा, पूर्व उद्धृत, पृ. 55
5. वही, पृ. 56
6. वही पृ. 57
7. वही पृ. 87-88
8. रीमा हूजा एवं अन्य (सम्पादित), *शोधक*, सामयिक शोध पत्र, 2010 में प्रकाशित, अर्चना कालरा का लेख, 'स्वामी दयानन्द के सुधारवादी विचार: स्त्री शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में', जयपुर, पृ. 29
9. *स्पीचेज एंड राईटिंग्स ऑफ हरबिलास शारदा*, वैदिक यंत्रालय प्रेस, अजमेर, 1935, पृ. 30
10. वही
11. सत्यकेतु विद्यालंकार (मुख्य सम्पादक), भवानीलाल भारतीय एवं हरिदत

विद्यालंकार (लेखक), *आर्य समाज का इतिहासः आर्य समाज का प्रचार सन् 1883 से सन् 1943 तक,* आर्य स्वाध्याय केन्द्र, नई दिल्ली, 1984, पृ. 131

12. फाइल नं. 1563, 1912–13, महकमा खास, बीकानेर रिकॉर्ड्स, रा.रा.अ.बी.
13. फाइल नं. B600–603, होम डिर्पाटमेंट, बीकानेर रिकॉर्ड्स, रा.रा.अ.बी.
14. पूरणमल, *अस्पृश्यता एवं दलित चेतना,* पोइन्टर, 2004, पृ. 51
15. पंडित शंकर शर्मा (मन्त्री आर्य समाज), *आर्य समाज जोधपुर की 37–38वीं वार्षिक रिपोर्ट,* आर्य समाज प्रेस, जोधपुर, 1927, पृ. 5, 11, 12, रा.रा.अ.बी.
16. वी.एन. रेउ, पूर्व उद्धृत, भाग 2, पृ. 496
17. *राजपूताना गजेटियर,* खंड–3 ए, पृ. 169
18. *रिपोर्ट श्री जाट बोर्डिंग हाउस,* जोधपुर, आरम्भ से 30 जून 1936 ई. तक, पृ. 1; *चौधरी गुल्लाराम जी स्मृति ग्रन्थ,* 1968 ई. पृ. 29
19. वही, पृ. 29
20. वही, पृ. 1–2
21. वही, पृ. 2–5
22. ठाकुर देशराज, *रियासती भारत के जाट जनसेवक,* 1949 ई., पृ. 185; चौधरी मूलचन्द जी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ. 121–126
23. *रिपोर्ट जाट बोर्डिंग हाउस,* जोधपुर, पृ. 11
24. *चौधरी मुलाराम स्मृति ग्रंथ,* पृ. 83
25. *रिपोर्ट जाट बोर्डिंग हाउस,* जोधपुर, पृ. 38
26. *चौधरी मूलचन्दजी अभिनन्दन ग्रंथ,* 1976, पृ. 150–52
27. *रिपोर्ट श्री मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा,* नागौर 1942 ई. पृ. 17–18
28. फाईल नं. 9/3, 1919, महकमा खास, जोधपुर रिकाड्र्स, रा.रा.अ.बी.
29. सैयद नूरूलाह एवं जे.वी. नायक, *ए हिस्ट्री ऑफ ऐज्यूकेशन इन इंडिया (डयूरिंग दी ब्रिटिश पिरियड),* मैकमिलन, नई दिल्ली, 1951, पृ. 202
30. फॉरैन डिपार्टमेन्ट, (पोलिटिकल), नं. 1208–C/1324, *लेटर फ्रॉम चीफ कमिश्नर टू गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया,* डेटेड 20.11.1914, एन.ए.आई. दिल्ली
31. के.डी. अर्सकिन, *राजपुताना गजेटियर्स,* पृ. 43–53

32. *लेटर फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एज्यूकेशन राज मारवाड़ टू द मुहम्डन्स ऑफ खारड़ियों का बास,* जोधपुर, नं. जी-26इ/2922, डेटेड 12.03.1928, जोधपुर रिकार्डस, रा.रा.अ.बी.
33. *मारवाड़ गजट,* एक्स्ट्रा ऑरडिनरी इश्यू, 21 नवम्बर 1929, रा.रा.अ.बी.
34. *मारवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट (1930-1931 ई.),* पृ. 52, जोधपुर रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर
35. जी.सी. वर्मा, पूर्व उद्धृत, पृ. 258
36. वही, पृ. 258
37. वही
38. श्रीनाथ मोदी विशारद (सम्पादित), *श्रीयुत् धीरजमलजी बच्छावत के गीत, सुधार-संगीत,* जैन ज्ञान भण्डार, जोधपुर, 1933, पृ. 10-11, रा.रा.अ.बी.

सहायक आचार्य
(इतिहास)
स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय,
टिब्बी (राजस्थान)